प्रेस विज्ञप्ति

27.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय, मंगलौर उप आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी और निवेश धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स हर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सत्यबोधा श्रीनिवासराव खासनीस, संजीव श्रीनिवासराव खासनीस, श्रीकांत श्रीनिवासराव खासनीस, किरणकुमार, शंभूलिंग रेवनप्पा बालिगर और गणेश बी वालिकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, मंगलौर में अभियोजन शिकायत दायर की है।

धारवाड़ उपमंडल, धारवाड़ के कालाघाटगी पुलिस स्टेशन द्वारा सत्यबोधा खसनीस उर्फ हर्षा, संजीव खसनीस, श्रीकांत खसनीस और अन्य के खिलाफ उच्च ब्याज दरों का वादा करके विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने और भुगतान न करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी सत्यबोध श्रीनिवासराव खानसिस, संजीव श्रीनिवासराव खानसिस और श्रीकांत श्रीनिवासराव खानसिस ने अपनी कंपनियों, हर्षा लाइफ लाइट और हर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2016-17 के बीच आम निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया था। उन्होंने निवेशकों को निवेशित पूंजी पर 4% से 6% प्रति माह तक का अत्यधिक रिटर्न देने का वादा किया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने आम निवेशकों से जुटाए गए धन का उपयोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग, फिल्म निर्माण और अन्य अज्ञात उद्देश्यों के लिए किया और निवेशकों को 22.58 करोड़ रुपये की राशि वापस नहीं की।

इसके अलावा, यह भी पता चला कि अन्य आरोपी व्यक्ति, अर्थात् किरनकुमार, शंभूलिंग रेवनप्पा बालिगर और गणेश बी वालिकर ने मुख्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् सत्यबोध श्रीनिवासराव खानसिस, संजीव श्रीनिवासराव खानसिस और श्रीकांत श्रीनिवासराव खानसिस की सहायता की थी। उन्होंने मेसर्स कलाघाटगी विविधोद्देश सौहार्द सहकारा नियमिता की निकासी पर्चियां 5 रुपये प्रति पर्ची के कमीशन पर उपलब्ध कराई थीं, जिनका उपयोग मुख्य आरोपियों ने निवेशकों को गारंटी देने के उद्देश्य से किया था।

जांच के दौरान यह पता चला कि फिल्म निर्देशकों में से एक, पवन कुमार, जिसने फिल्म निर्माण के लिए आरोपियों से उनकी कंपनियों के माध्यम से धन प्राप्त किया था, ने उस धनराशि का एक हिस्सा अपने पिता गजानना वाडेयर के नाम पर एलआईसी पॉलिसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था और दूसरे फिल्म निर्देशक हरिप्रसाद जयन्ना ने आरोपियों से नकद में प्राप्त धनराशि का उपयोग अज्ञात उद्देश्यों के लिए किया था। इसलिए, हरिप्रसाद जयन्ना के कब्जे में मौजूद अपराध से प्राप्त धनराशि (35 लाख रुपये तक मूल्य की कृषि भूमि के रूप में) और गजानना वाडेयर के नाम पर 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की एलआईसी पॉलिसी को पीएमएलए की धारा 5 के तहत दिनांक 23.03.2026 के पीएओ के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया।

आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

आगे की जांच जारी है।
